प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के नाम से धोखाधड़ी की गतिविधियां

<u>खंडन</u>

डीएफएस से प्राप्त दिनांक 24.12.2019 के संप्रेषण के माध्यम से एसएलबीसी के ध्यान में यह तथ्य आया है कि माननीय प्रधानमंत्री का फोटो और वित्तीय सेवाएं विभाग के कार्यालय पते का उपयोग कर प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के नाम और लोगो के साथ एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

एसएलबीसी जन सामान्य/ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को सावधान करता है कि मिशन कार्यालय, डीएफएस ने न तो इस प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित किया है और न ही पीएमजेडीवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम से ऋण की मंजूरी हेतु रु.3200/- जमा करते हुए दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए जन सामान्य/ ग्राहकों को कोई प्रस्ताव दिया है। वस्तुतः श्री कौशल राजपूत के नाम से आईएफएससी SBIN001266 वाला कोई खाता क्रमांक 35713584077 पीएमजेडीवाई का नहीं है।

पीएमजेडीवाई डीएफएस द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकार की एक प्रमुख योजना है। मिशन कार्यालय, डीएफएस से इस योजना के अंतर्गत ऐसे ऋणों का संवितरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि पीएमजेडीवाई खाताधारकों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं तो वह वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत हैं।

जन सामान्य/ पीएमजेडीवाई खाताधारक भविष्य में ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का शिकार न बनें।